न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या–51/2023

राज्य

बनाम्

श्रवण प्रसाद साहू

—: आदेश :—

09.03.24

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, लातेहार के पत्रांक 979/अप0शा0 दिनांक 03.05.2023 से बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–19/2023 दिनांक 24.01.2023 में कोयला खनिज के अवैध रूप से उत्खनन, व्यापार हेतु परिवहन करने के मामले में जप्त हाईवा रजि0–JH01DK-1772 (वास्तविक रजि0 नं0–JH19C-6381) एवं उसपर लदे करीब–20 टन कोयला का राजसात के लिए प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य की ओर से पुलिस अधीक्षक, लातेहार द्वारा दाखिल प्रस्ताव के साथ संलग्न दस्तावेज के अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 65/एम0 दिनांक 24.01.2023 के आलोक में जप्त हाईवा के विरूद्ध बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–19/2023 दिनांक 24.01.2023 को अवैध कोयला खनिज के उत्खनन, व्यापार हेतु परिवहन करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा थाना प्रभारी, बालूमाथ को प्राथमिकी दर्ज करने हेतु दिये गये पत्र में उल्लेख किया गया है कि जिला स्तरीय गठित टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा शसस्त्र पुलिस बल के साथ दिनांक 23.01.2023 को रात्री करीब 09:00 बजे से 11:00 बजे तक बालूमाथ थाना अन्तर्गत रेलवे साईडिंग के पास संयुक्त छापेमारी के समय हाईवा चालक द्वारा छापेमारी दल को देखकर वापस भागने के प्रयास करने के क्रम में पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया है। उक्त वाहन के साथ–साथ अन्य पकड़े गये वाहन का

ई–चालान जांचोपरान्त वैध पाया गया। अन्य वाहनों के चालान जांच के क्रम में वाहन हाईवा रजि0–JH01DK-1772 (वास्तविक रजि0 नं0–JH19C-6381) के चालक वाहन लेकर भाग गया। परन्तु वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत ई–परिवहन चालान संख्या–C12301219/314 दिनांक 23.01.2023 जो वैध पट्टेधारी सी0सी0एल0 मगध ओ0सी0पी0 बालूमाथ द्वारा निर्गत है का वैधता की सम्यावधी दिनांक 23.01.2023 को समय 05:27:59 PM से 06:57:59 PM तक है। उक्त वाहन के चालान संख्या–C12301219/314 दिनांक 23.01.2023 में 22.550 MT कोयला Barh SUper Thermel Power Station NTPC Limited-413232392001-Vemula Harihara Rayalu, Balumath Railway Siding Line no. 1 BLCB Balumath एवं Place of delivery of material-Vemula Harihara Rayalu, Balumath Railway Siding Line no.1 अंकित पाया गया है।

इस प्रकार वाहन संख्या–JH01DK-1772 (वास्तविक रजि0 नं0–JH19C-6381) के वाहन चालक द्वारा वाहन में लदे कोयला खनिज का ई–परिवहन चालान की वैधता समाप्त होने के पश्चात् दिनांक 23.01.2023 को समय 09:15 PM में कोयला खनिज का अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ा गया था। ई–परिवहन चालान संख्या–C12301219/314 दिनांक 23.01.2023 में वाहन के प्रवेश (In) एवं बाहर (Out) का समय नहीं दिया गया है। चालान Delivery Officer एवं Loading Incharge द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है, जो संदेहास्पद प्रतीत होता है।

उक्त आलोक में बालूमाथ थाना काण्ड संख्या–19/2023 दिनांक 24.01.2023 में कोयला खनिज के अवैध रूप से उत्खनन, व्यापार हेतु परिवहन करने के मामले में जप्त हाईवा रजि0–JH01DK-1772 (वास्तविक रजि0 नं0–JH19C-6381) एवं उसपर लदे करीब–20 टन कोयला को राजसात करने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात् विपक्षी द्वारा कुछेक तिथियों में उपस्थिति दी गयी तथा बाद में वे न्यायालय से लगातार अनुपस्थित रहने लगे। विपक्षी को लगातार अनुपस्थित रहने के कारण दिनांक 17.01.2024 को दैनिक समाचार पत्र सूचना प्रकाशन किया गया।

सूचना प्रकाशन के पश्चात् विपक्षी द्वारा हाजरी दी गयी परन्तु पुकार पर वे अनुपस्थित रहने लगे और विपक्षी द्वारा बचाव पक्ष में कोई भी जवाब दाखिल नहीं किया गया।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को एकपक्षीय करते हुए सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में पाया गया कि जप्त हाईवा रजि0–JH01DK-1772 (वास्तविक रजि0 नं0–JH19C-6381) को कोयला परिवहन करते जिला स्तरीय गठित टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा शसस्त्र पुलिस बल के सहयोग से दिनांक 23.01.2023 को बालूमाथ थाना अन्तर्गत रेलवे साईडिंग के पास संयुक्त छापेमारी के क्रम में समय 09:15 PM में पकड़े जाने के समय प्रस्तुत ई–परिवहन चालान दिनांक 23.01.2023 को समय 05:27:59 PM से 06:57:59 PM तक वैध था। ई–परिवहन चालान की वैधता की समयावधि समाप्त होने के उपरान्त अवैध रूप से परिवहन का कार्य किया जा रहा था, जो नियम के विरूद्ध है।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–4(1A) एवं "The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017" के नियम 9 (i) No person shall transport or otherwise remove or carry away any mineral from any place without obtaining a transport challan duly generated through JIMMS. एव नियम 11(V) में वर्णित है कि "Any minerals, tool, equipment, vehicle or anything seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court."

अतः दिनांक–23.01.2023 को अवैध कोयला परिवहन करते पकड़े गये हाईवा रजि0–JH01DK-1772 (वास्तविक रजि0 नं0–JH19C-6381) एवं उसपर लदे 20 टन कोयला को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार 08 सप्ताह के अन्दर नियमानुसार जप्त कोयला एवं वाहन की निलामी कर प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार राजसात वाहन के निलामी की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करेंगे।

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, बालूमाथ थाना, जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार, जिला परिवहन पदाधिकारी, लातेहार, लोक अभियोजक, लातेहार, पुलिस अधीक्षक, लातेहार, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, व्यवहार न्यायालय, लातेहार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लातेहार को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.04.16 12:38:27 +05:30
Location: 192.168.252.92